FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....

किस्म मुकदमा.................................... नं.................. सन्.............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/6/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/8/2025 को पत्रावली पेश हो।	
8/8/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी बैठक/मिटिंग/V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 3/10/25 को पेश हो।	
3/10/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक 28/11/25 को पेश हो।	
28/11/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० हो। बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की ख०स० 862/22 प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज है। ख० नं० 1095/22 गै० मु० बंजर पर प्रतिवादी का कब्जा है, इन्होंने हमारी भूमि पर कुआं खोद दिया है। ये हमारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें। खण्डन में वकील अप्रार्थी अप्रार्थीगण	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ने कथन किया की प्रकरण मे तीनो बिन्दुओ पर निस्तारण किया जाना है। प्रथम द्रष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा सतुंलन का सिद्धान्त, इनको वाद कारण कहाँ उत्पन्न हुआ है। बिना भूमि आवंटन के सरकारी भूमि पर हम निर्माण क्यो कर रहे है। इनका प्रकरण केवल सम्भावना पर निर्भर है। ख० न० 1095/22 पर वादी अतिक्रमी है, जिस पर T.D.R. धारा-91 के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। ये वाद की आड मे अपने अतिक्रमण को स्थाई बनाना चाहते है। कोई वाद कारण नही होने से प्रकरण मय हर्जाना के खारीज किया जावें।

खण्डन मे वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की हमें दिनांक- 10/04/25 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वाद कारण साक्ष्य का विषय है। हमारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण है, बाबत कोई दस्तावेजात पेश नही किये। मेरी खातेदारी जमीन पर अतिक्रमण नही करें। मौके पर ठेकेदार निर्माण करते है। प्रथम द्रष्टया मामला, अपूरणीय क्षति की सम्भावना हमे है। प्रकरण स्वीकार कर T.I. जारी की जावें।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि ख० न० 862/22 प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी मे अंकित है। ख० न० 1095/22 गै०मु० बंजर राजकीय सिवायचक खाते मे अंकित है। ख० न० 1093/22 नवीन नर्सिंग महाविद्यालय हिण्डोली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण के मध्य ख०न०

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... हिण्डोली

किस्म मुकदमा..नं.............................सन्.................

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1095/22 गै.मु. बडी दर्ज है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कोई दखलंदाजी करना जाहिर आया हो। प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निर्धारित तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-	
1.	प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि ख.न. 862/22 प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज है व अप्रार्थीगण जहाँ निर्माण कार्य कर रहे है वह ख.न. 1093/22 है। दोनों ख.नम्बरों के बीच में ख.न. 1095/22 राजकीय सिवायचक (गै.मु.बडी) स्थित है अप्रार्थीगण उनको आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे है. आवंटन से पृथक जगह पर सरकारी निर्माण करना संदेह से परे साबित नहीं है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है. जिससे उनकी भूमि पर दखलंदाजी करना जाहिर हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।	
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई निर्माण। दखलंदाजी नहीं की जाकर उनको आवंटित भूमि ख.स. 1093/22 पर किया जा रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि	

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
(3) के मध्य ख. नं. 1095/22 राजकीय सिवायचक स्थित है। जिससे प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं बन रही है। उपरोक्त बिन्दुवार विवेचन से तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रकरण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	